फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पन्नालाल **विपक्षी : श्री कैलाश**

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 94/22**

जीसीएमएस : 2022/241

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.06.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश कर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता वादी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। चूंकि अधिवक्ता वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	